बिहार सरकार
उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
हवाई अड्डा, पटना– 800014

TEL. No:- 0612-2225659, 2224423
Fax 0612 2224614
e-mail-bfibihar@bihar.gov.in

पटना, दिनांक................. 2025

पत्रांक :–सि०वि०वि०–I–19 / 2000–

–:: संकल्प ::–

कै० पुनीत कुमार, सहायक उड्डयन प्रशिक्षक, उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय (मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग) दिनांक 30.01.2025 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं, जिससे बिहार उड्डयन संस्थान में प्रशिक्षु पायलटों के प्रशिक्षण में बाधा उत्पन्न हुई है।

2. कै० कुमार द्वारा दिनांक 29.01.2025 को निजी कार्य से कुल 08 दिनों के (दिनांक 30.01.2025, 31.01.2025, 01.02.2025, 04.02.2025 से 08.02.2025) आकस्मिक अवकाश हेतु आवेदन कार्यालय में समर्पित किया गया था। पुनः दिनांक 13.02.2025 को ई–मेल के द्वारा समर्पित आवेदन में अपने पिता की संभावित घुटने की सर्जरी के आलोक में आकस्मिक अवकाश को उपार्जित अवकाश में रूपांतरित किये जाने तथा 03 माह का अतिरिक्त उपार्जित अवकाश स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया। कै० कुमार के अधीन प्रशिक्षु पायलटों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेवारी तथा बिहार उड्डयन संस्थान में Peak Flying को देखते हुए कै० कुमार के उपार्जित अवकाश को उच्चस्तर से अस्वीकृत किया गया। जिसकी सूचना कै० कुमार को कार्यालय पत्रांक–1502 दिनांक 27.02.2025 के द्वारा देते हुए कै० कुमार को कार्यालय में शीघ्र योगदान का निदेश दिया गया, परन्तु कै० कुमार द्वारा न ही इस संबंध में कोई जवाब कार्यालय में समर्पित किया गया और न ही कार्यालय में योगदान दिया गया है।

3. विभागीय पत्रांक–75 दिनांक 22.04.2025 द्वारा कै० कुमार के विरूद्ध प्रपत्र–'क' गठित करते हुए बचाव अभिकथन की मांग की गयी। कै० कुमार से प्राप्त बचाव अभिकथन की समीक्षा के क्रम में वृहद् जाँच की आवश्यकता महसूस की गयी।

4. अतः यह निर्णय लिया गया है कि कै० पुनीत कुमार, सहायक उड्डयन प्रशिक्षक, उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय (मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग) के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र–'क' में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाये।

5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(2) के तहत मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री अखिलेश कुमार सिंह, अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग –सह– प्रशासी पदाधिकारी, उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. कै० कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हो।

7. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।

8. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाये तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाये।

बिहार राज्यपाल के आदेश

(डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे)
निदेशक

ज्ञापांक :– सि०वि०वि०–I–19/2000– 270 पटना, दिनांक 27/06/2025

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य जाँच आयुक्त, मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना को (आरोप पत्र एवं साक्ष्य की प्रति तथा जाँच पत्र के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. प्रशासी पदाधिकारी, उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. कै० पुनीत कुमार, सहायक उड्डयन प्रशिक्षक (मोबाईल नं०–9631053219, e-mail-captpuneet@yahoo.co.in) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ (सी०डी०) सहित प्रेषित।
7. आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे)
निदेशक